न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

वाद संख्या – 2019/115

1. भगवानाराम पुत्र हरचन्दराम जाति जाट निवासी ढाणी पांडूसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर

– प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री रामकरण मूण्ड
2. पैरोकार राज

–:निर्णय:–

दिनांक :– 12.09.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम रोही मौजा ढाणी छिपलाई के खसरा नम्बर 30 तादादी 12.65 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो प्रार्थी की पुरानी आवंटन शुदा भूमि है जिस पर प्रार्थी का वर्षो पुराना कब्जा काश्त है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि को लेकर काफी बार सीमाचिन्हो को लेकर व पड़ोसियों के बीच विवाद पेदा होता है जिस कारण मुकदमेबाजी होती रहती है। दिनांक 18.06.19 को अपने खेत का सीमाज्ञान पड़ोसियेां की मौजूदगी में करवाया गया लेकिन सही सीमाओं का चिन्हित नहीं होने के कारण विवाद बढ़ता गया जिस पर उपरोक्त भूमि की सीमाओं को लेकर पुलिस थाना महाजन में मुकदमा दर्ज हुआ। दिनांक 13.08.19 को तहसीलदार लूनकरनसर के आदेश से संयुक्त टीम बनाकर उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 30, 31, 32 का सीमाज्ञान संयुक्त टीम द्वारा किया गया। जिसका फर्द मौका बनाकर मैन नक्शा पर टीम द्वारा हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी की लगभग 18 बीघा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा पत्थरगढ़ी के अभाव में कर रखा है। उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी होना अतिआवश्यक है। पत्थरगढ़ी के अभाव में बार बार प्रार्थी की भूमि पर चिपते काश्तकार प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2074 से 77 ग्राम ढाणी छिपलाई खसरा नम्बर 30 पड़ोसी काश्तकार खसरा नम्बर 31 एवं 32 की जमाबंदी फर्द मौका की प्रमाणित प्रति नक्शा ग्राम ढाणी छिपलाई एवं पासबुक की छायाप्रति पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.08.2019 को करवाया गया है जिसमें दर्शाए गए एवं करवाए गए पूर्व में सीमाज्ञान के अनुसार तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढ़ी करावें। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/9/19

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

उपखण्ड अधिकारी,
लूणकरणसर